भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2392

जिसका उत्तर सोमवार, 03 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अशोध्य ऋण की वसूली

†2392. श्री राधाकृष्ण:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) पिछले पाँच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते में डाली गई ऋण राशि का बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) इसी अवधि के दौरान ऐसे बट्टे खाते में डाले गए खातों से वसूल की गई राशि का वर्ष-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है और यह बट्टे खाते में डाली गई कुल राशि का कितना प्रतिशत है;
(ग) पिछले पाँच वर्षों के दौरान बट्टे खाते में डाले गए ऋणों का क्षेत्र-वार (कृषि, उद्योग, एमएसएमई, खुदरा) ब्यौरा क्या है; और
(घ) आज की तारीख के अनुसार जानबूझकर चूक करने वालों पर बकाया राशि कितनी है और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें केवल जानबूझकर चूककर्ता घोषित करने से इतर वास्तव में आपराधिक कार्रवाई के लिए भेजा गया है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क) और (ख): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा बट्टे खाते डाली गई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का बैंक-वार और वर्ष-वार ब्यौरा और विगत पांच वित्तीय वर्ष के लिए उनके प्रतिशत सहित बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूल की गई राशि **अनुबंध -1** में दी गई है।

बट्टे खाते डाले गए ऋणों की वसूली एक सतत् प्रक्रिया है और बैंक उनके पास उपलब्ध विभिन्न वसूली तंत्र के अंतर्गत उधारकर्ताओं के विरुद्ध शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं। किसी वित्तीय वर्ष विशेष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋणों से वसूल की गई राशि उस वित्तीय वर्ष विशेष या विगत वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए ऋणों से संबंधित हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) -वाणिज्यिक बैंकों के लिए जारी किए गए तनावग्रस्त आस्ति का समाधान सम्बन्धी निदेश 2025 के अनुसार, बट्टे खाते डालना (जिसका एक बड़ा हिस्सा तकनीकी/विवेकपूर्ण/संग्रह के अंतर्गत अग्रिमों के कारण है) एक बैंक द्वारा अपने तुलन पात्र को समायोजित करने के लिए की गई एक लेखांकन प्रक्रिया है। इस तरह के बट्टे खाते डालने से उधारकर्ताओं की देनदारियों को माफ नहीं किया जाता है और इसलिए, इससे उधारकर्ता को कोई लाभ नहीं होता है। उधारकर्ता पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी बने रहते हैं और बैंक इन खातों में शुरू की गई वसूली कार्रवाइयों को जारी रखते हैं।

(ग): विगत पांच वित्तीय वर्ष के दौरान कृषि, उद्योग, सेवाओं, एमएसएमई और खुदरा क्षेत्रों के लिए बट्टे खाते डाले गए ऋणों का ब्यौरा **अनुबंध-2** में दिया गया है।

(घ): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 30.6.2026 तक की स्थिति के अनुसार 15,930 इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध 25 लाख रुपये और उससे अधिक की देय राशि वाले इरादतन चूककर्ताओं की बकाया राशि 2,85,015 करोड़ रुपये है। इरादतन चूककर्ताओं की कुल संख्या में से 7,190 मामलों को 1,92,187 करोड़ रुपये के डिफॉल्ट वाली आपराधिक कार्रवाई के लिए भेजा गया है।

अनुबंध -1

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों की वसूली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2392

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए एनपीए का ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक का नाम	वित्तीय वर्ष 2021-22			वित्तीय वर्ष 2022-23			वित्तीय वर्ष 2023-24			वित्तीय वर्ष 2024-25			वित्तीय वर्ष 2025-26*		
	बट्टे खाते डाले गए ऋण की राशि	बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली	बट्टे खाते डाले गए खातों की वसूली, बट्टे खाते डाले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप (% में)	बट्टे खाते डाले गए ऋण की राशि	बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली	बट्टे खाते डाले गए खातों की वसूली, बट्टे खाते डाले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप (% में)	बट्टे खाते डाले गए ऋण की राशि	बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली	बट्टे खाते डाले गए खातों की वसूली, बट्टे खाते डाले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप (% में)	बट्टे खाते डाले गए ऋण की राशि	बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली	बट्टे खाते डाले गए खातों की वसूली, बट्टे खाते डाले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप (% में)	बट्टे खाते डाले गए ऋण की राशि	बट्टे खाते डाले गए खातों से वसूली	बट्टे खाते डाले गए खातों की वसूली, बट्टे खाते डाले गए मूल्य के प्रतिशत के रूप (% में)
	(क)	(ख)	ग=(ख/क)*100	(क)	(ख)	ग=(ख/क)*100	(क)	(ख)	ग=(ख/क)*100	(क)	(ख)	ग=(ख/क)*100	(क)	(ख)	ग=(ख/क)*100
बैंक ऑफ बड़ौदा	17,967	2,510	13.97	17,998	3,277	18.21	10,518	3,943	37.49	8,796	4,767	54.20	6,330	3,425	54.11
बैंक ऑफ इंडिया	10,443	1,097	10.50	8,694	1,207	13.88	9,897	1,467	14.82	7,959	2,365	29.71	5,923	2,674	45.15
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3,118	642	20.59	1,491	943	63.25	990	985	99.49	796	1,375	172.74	1,209	1,423	117.70
केनरा बैंक	8,210	2,747	33.46	12,760	5,110	40.05	11,827	6,032	51.00	14,350	6,924	48.25	13,541	6,565	48.48
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	1,236	332	26.86	10,258	1,283	12.51	10,001	1,433	14.33	3,370	1,716	50.92	1,719	2,271	132.11
इंडियन बैंक	8,347	1,612	19.31	7,952	2,177	27.38	8,734	1,879	21.51	4,916	2,548	51.83	6,562	2,335	35.58
इंडियन ओवरसीज बैंक	3,769	19	0.50	3,412	90	2.64	7,179	2,430	33.85	3,885	2,454	63.17	1,192	2,180	182.89
पंजाब एंड सिंध बैंक	1,134	261	23.02	2,283	512	22.43	796	691	86.81	1,521	551	36.23	632	707	111.87
पंजाब नेशनल बैंक	18,312	3,441	18.79	16,578	6,508	39.26	18,317	6,101	33.31	12,159	4,926	40.51	7,696	5,931	77.07
यूको बैंक	3,851	1,546	40.15	2,575	1,624	63.07	1,938	1,487	76.73	1,566	2,624	167.56	1,278	1,327	103.83
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	19,484	2,750	14.11	19,175	5,549	28.94	18,264	3,987	21.83	11,634	4,311	37.06	6,643	3,997	60.17
भारतीय स्टेट बैंक	19,666	7,782	39.57	24,061	7,097	29.50	16,161	6,934	42.91	20,309	8,002	39.40	17,803	10,054	56.47

*स्रोत: आरबीआई (*मार्च 2026 के लिए अनंतिम डेटा)*

अनुबंध-2

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अशोध्य ऋणों की वसूली के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2392

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा बट्टे खाते डाले गए ऋणों का क्षेत्रवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपये में)

क्षेत्र	**वित्तीय वर्ष 2021-22**	**वित्तीय वर्ष 2022-23**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25**	**वित्तीय वर्ष 2025-26***
कृषि और संबद्ध गतिविधियां	8,703	15,552	18,901	13,017	19,418
उद्योग	46,246	54,771	45,767	31,265	17,266
सेवाएं	37,149	39,817	30,586	28,168	16,513
खुदरा ऋण	4,478	5,145	8,039	8,193	9,085
एमएसएमई (उद्योग और सेवाएं)	20,221	22,479	17,993	19,758	18,565

*स्रोत: आरबीआई (*मार्च 2026 के लिए अनंतिम डेटा)*
